रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230334
SG-DL-E-11102021-230334

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 202
No. 289] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943 [N. C. T. D. No. 202

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2021

फा.सं. 1508/TO(S)/TC/Felling/18-19/5620-28.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में इरकॉन और रेल भूमि विकास प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से सफदरजंग रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हेतू नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.11 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इरकॉन और रेल भूमि विकास प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से सफदरजंग रेलवे स्टेशन का	210	323	533	5330

पुनर्विकास हेतू ।				
Total	**210**	**323**	**533**	**5330**

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है :—

1. रेल भूमि विकास प्राधिकरण, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 3,03,81,000 /- रूपये (तीन करोड़ तीन लाख इक्यासी हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (533 वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षो का दस गुना) अर्थात 5330 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का नरेला रेलवे स्टेशन पर (16,400 वर्ग मीटर) और सावन पार्क रेलवे भूमि क्षेत्र (48854 वर्ग मीटर), नई दिल्ली में किया जाएगा ।	5330	3,03,81,000 /-	उप– वन संरक्षक (पश्चिम) / वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 210 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े है, नरेला रेलवे स्टेशन पर (16,400 वर्ग मीटर) और सावन पार्क रेलवे भूमि क्षेत्र (48854 वर्ग मीटर), नई दिल्ली में स्वयं की लागत पर किया जाएगा। प्रस्ताव "वृक्ष प्रत्यारोपण नीति" की शर्तों को पूरा करता है।			

2. उपरोक्त 1 (क) व (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 5330 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

3. 533 वृक्षो को काटे/ प्रत्यारोपण किए जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 5330 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा। उपभोगी संस्था द्वारा अगले सात वर्षो तक रखरखाव स्वय की लागत पर करेंगी । पौधों के खराब रखरखाव या पौधों के नुकसान या हानि के मामले में उपभोगी संस्था ही जिम्मेदार होगी ।

4. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

5. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित हैं, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा ।

6. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य शुरू करने से पूर्व दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य शुरू करने से पूर्व साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।

8. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत की जाएगी ।

9. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा ।

10. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।

11. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

12. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

13. वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।

14. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।

16. उपभोगी संस्था द्वारा 323 वृक्षो को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा। 210 वृक्षो को काटने की अनुमति 323 वृक्षो के सफल प्रत्यारोपण और उप– वन संरक्षक (पश्चिम) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।

17. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की प्रत्यारोपण/ कटाई से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।

18. उपभोगी संस्था द्वारा 533 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की प्रत्यारोपण/ कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत एक अपराध होगा।

19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

20. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को भी दी जाएगी।

21. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

22. उपभोगी संस्था द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

23. अनुमति तभी दी जाएगी जब "वृक्ष संरक्षण योजना" को समय पर उप–वन संरक्षक (दक्षिण) द्वारा जारी किए गए पत्र दिनाँक-27.10.2020 के अनुसार वृक्ष अधिकारी/ उप– वन संरक्षक (पश्चिम) को प्रस्तुत की जाएगी।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 7th October, 2021

F.No.1508/TO(S)/TC/Felling/18-19/ 5620-28—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 2.11 ha. approx.as detailed below for redevelopment of Safdarjung Railway Station Jointly by IRCON & RLDA, Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of tree saplings)
	Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Redevelopment of Safdarjung Railway Station Jointly by IRCON & RLDA, Delhi.	210	323	533	5330
Total	**210**	**323**	**533**	**5330**

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:—

1. Rail Land Development Authority, herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 3,03,81,000 /- (Three Crores Three Lakh Eighty One Thousand only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

Sl. No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplant of 533 trees i.e., number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad and Desi Kikkar along with other native species shall be carried out by the User Agency at Narela Railway Station (in 16,400 SQM) & Sawan Park Railway land area (in 48854 SQM), New Delhi.	5330	3,03,81,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 210 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at Narela Railway Station (in 16,400 SQM) & Sawan Park Railway land area (in 48854 SQM), New Delhi with their own funds. "The proposal satisfies condition of Tree Transplantation Policy".			

2. 100% Compensatory Plantation of 5330 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.

3. Plants saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation/ felling of 533 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out thereafter, by user agency with their own funds. In case of poor maintenance or causality of plants User Agency shall be responsible.

4. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

5. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.

6. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994 before initiating felling/ transplantation.

7. The User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation before initiating felling/ transplantation.

8. User Agency shall maintain plantation journal as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and submit a copy of same at end of each financial year.

9. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation / transplantation site.

10. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.

11. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.

12. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.

13. Permission for transplantation/ felling of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

14. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

15. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising threfrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.

16. The transplantation shall be carried out prior to felling of 323 nos. of trees permitted herein. The 323 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 210 no. of trees and submission of compliance certificate to DCF (West).

17. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.

18. Transplantation/ felling of any tree apart from 533 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

19. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

20. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West) by User Agency.

21. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West) by User Agency.

22. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

23. The permission shall be granted only if "The Tree Preservation Plan" submitted to the Tree Officer (West) as per the letter dated 27.10.2020 issued by DCF (South).

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.11 15:40:50 +05'30'